ग्राम पंचायत टिब्बी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2013 से 3/2016

भाग–एक

1. (क) प्रस्तावना :–

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्याः PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हि0प्र0 को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत टिब्बी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे।

प्रधान :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री अमर सिंह	1.4.2013 से 21.1.2016
2.	श्री बालम चन्द	22.1.2016 से लगातार

सचिव :–

क्र0 सं0	नाम	अवधि
1.	श्री विजय कुमार	1.4.2013 से 31.3.2016

(ख) गम्भीर आपत्तियों का सार :–

ग्राम पंचायत टिब्बी के लेखाओं अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र0 सं0	पैरा सं0	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1.	5	निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना	–
2.	7	अनुदान का उपयोग न करना	4.73
3.	8	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	0.98

भाग–दो

2. वर्तमान अंकेक्षण :–

ग्राम पंचायत टिब्बी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री संदीप कमल, अनुभाग अधिकारी व श्री नरेन्दर कुमार, आर्टिकल सहायक द्वारा दिनांक 2.6.2016 से 6.6.2016 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2013–14	1/2014	7/2013
2014–15	3/2015	3/2015
2015–16	2/2016	11/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क :–

ग्राम पंचायत टिब्बी, विकास खण्ड हमीरपुर, जिला हमीरपुर के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹7200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि ₹7200 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्याः 122, दिनांक 6.6.2016 द्वारा अनुरोध किया गया। अतः अंकेक्षण शुल्क की राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–09 को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

4. वित्तीय स्थिति :–

ग्राम पंचायत टिब्बी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी।

(1) स्वः स्त्रोत :–

ग्राम पंचायत टिब्बी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की स्वः स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :–

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	167392	65943	233335	35363	197972
2014–15	197972	57362	255334	15775	239559
2015–16	239559	59599	299158	11018	288140

(2) अनुदान :–

ग्राम पंचायत टिब्बी के अवधि 1.4.2013 से 31.3.2016 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट–'1"** में भी दिया गया है।

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2013–14	441973.58	2652479	3094453.58	2305508	788944.58
2014–15	788944.58	2236242	3025186.58	2481192.28	543994.30
2015–16	543994.30	2077784	2621778.30	2148523.98	473254.32

4. 1. बैंक समाधान विवरणी :–

<u>स्व स्त्रोतः–</u>

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष :–	₹288140
दिनांक 31.3.2016 को बैंक खाते में शेष	₹288021
KCCB 86155:-	₹88021
Allahbad Bank 90913:-	₹200000
हस्तगत राशि :–	₹119

<u>अनुदान :–</u>

दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ वहियों में अन्तिम शेष :–	₹473254.32
दिनांक 31.3.2016 को बैंक खातों में शेषः–	₹473239.32
हस्तगत राशि :–	₹15

<u>बैंक खाता संख्या</u>	राशि
Indira aavas Yojna KCCB 31267	22859
General Fund KCCB 24711	70435
Nirmal Bharat Abhian 7308	83692

MNREGA 78767	341
13th FC 9258676	295912.32
कुल राशि	**₹473239.32**

4.2 रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान न करना :–

ग्राम पंचायत टिब्बी की रोकड़ वही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ वही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अतः पंचायत द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ वहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

5. निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना :–

रोकड़ वहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा सामान्य रोकड़ वही, खाता–क (स्वः स्त्रोतो से आय) में दिनांक 22.2.2014 से 27.3.2014 तक (पृष्ठ 86 से 91) ₹4376 हस्तगत रूप में रखी गई थी, जोकि (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

6. पंचायत राजस्व ₹40 की वसूली हेतु शेष एवं गृह कर की कम मांग जारी करना :–

स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व ₹40 की वसूली शेष थी।

1. गृहकर :–

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2013–14	0	16200	16200	16160	40
2014–15	40	16400	16400	16400	40
2015–16	40	16520	16560	16520	40

2. जांच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 में गृह कर के रूप में कुल 371 घरों से मांग जारी एवं वसूली की गई थी, जबकि परिवार रजिस्टर के पृष्ठ संख्याः 102 पर कुल 379 परिवार दर्ज थे। इस प्रकार वर्ष 2015–16 में 8 गृह परिवारों से गृह कर की राशि कम वसूली गई थी, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में समस्त परिवारों से गृह करों की वसूली करना सुनिश्चित करें।

3. जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत में गृह कर की वसूली अलग–अलग दरों पर की गई थी, लेकिन इस सन्दर्भ में कोई अभिलेख जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि गृह कर के रूप में अलग–अलग दरों के परिणामस्वरूप कम दरों पर वसूली करके पंचायत निधि को हानि पहुंचाई गई थी। अतः गृह कर की अलग–अलग दरें वसूलने का औचित्य स्पष्ट करें अन्यथा कम वसूली की प्रतिपूर्ति उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित करें। वसूल की गई दरों का उदाहरण निम्न प्रकार से है।

रसीद संख्या	करदाता का नाम	माह	गृह कर की राशि
60801	श्रीमति शीला देवी	3/2015	40
60802	श्री धर्म सिंह	3/2015	50
60816	श्रीमति जौंडी देवी	3/2015	30

7. अनुदान ₹4.73 लाख का उपयोग न करना :–

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **परिशिष्ट–'1"** के अनुसार दिनांक 31.3.2016 तक अनुदान ₹473254 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ–साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8. औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹0.98 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना :–

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट–'2"** में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹98397 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम अधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. विहित रजिस्टरों का रख–रखाव न करना :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव किया

जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0 सं0	रजिस्टर/अभिलेख
1.	खाता वहियां तैयार न करना
2.	अनुदान रजिस्टर
3.	यात्रा भत्ता बिल का जांच पड़ताल रजिस्टर

10. प्रत्यक्ष सत्यापन :–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. लघु आपत्ति विवरणिका :– इसे अलग से जारी नहीं किया गया, अपितु छोटी–छोटी आपत्तियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

12. निष्कर्ष :– लेखों के रख–रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्या :फिन (एल0ए0)एच0(पंच)(xv)(vi)4/2016, खण्ड–2–4808–4811 दिनांकः 10.08.2016, शिमला–171009

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0 प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–09

2 जिला पंचायत अधिकारी हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड हमीरपुर, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत टिब्बी, विकास खण्ड हमीरपुर, तहसील हमीरपुर, जिला हमीरपुर हि0 प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
सहायक निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.